

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (II)]

MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

Notification

New Delhi, dated the 5th June, 2017

INCOME-TAX

S.O. (E). – In exercise of the powers conferred by third proviso to the clause (38) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) here in after referred to as the Income-tax Act, the Central Government hereby notifies all transactions of acquisition of equity share entered into on or after the 1st day of October, 2004 which are not chargeable to securities transaction tax under Chapter VII of the Finance (No. 2) Act, 2004 (23 of 2004), other than the following, namely :-

(a) where acquisition of existing listed equity share in a company whose equity shares are not frequently traded in a recognised stock exchange of India is made through a preferential issue:

Provided that nothing contained in this clause shall apply to acquisition of listed equity shares in a company;-

(i) which has been approved by the Supreme Court, High Court, National Company Law Tribunal, Securities and Exchange Board of India or Reserve Bank of India in this behalf;

(ii) by any non-resident in accordance with foreign direct investment guidelines issued by the Government of India;

(iii) by an investment fund referred to in clause (a) of Explanation 1 to section 115UB of the Income-tax Act or a venture capital fund referred to in clause (23FB) of section 10 of the Income-tax Act or a Qualified Institutional Buyer;

(iv) through preferential issue to which the provisions of chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 does not apply.

(b) where transaction for acquisition of existing listed equity share in a company is not entered through a recognised stock exchange of India:

Provided that nothing contained in this clause shall apply to the following acquisition of listed equity shares in a company made in accordance with the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), if applicable, —

(i) acquisition through an issue of share by a company other than the issue referred to in clause (a);

(ii) acquisition by scheduled banks, reconstruction or securitisation companies or public financial institutions during their ordinary course of business;

(iii) acquisition which has been approved by the Supreme Court, High Courts, National Company Law Tribunal, Securities and Exchange Board of India or Reserve Bank of India in this behalf;

(iv) acquisition under employee stock option scheme or employee stock purchase scheme framed under the Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999;

(v) acquisition by any non-resident in accordance with foreign direct investment guidelines of the Government of India;

(vi) where acquisition of shares of company is made under Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011;

(vii) acquisition from the Government;

(viii) acquisition by an investment fund referred to in clause (a) to Explanation 1 to section 115UB of the Income-tax Act or a venture capital fund referred to in clause (23FB) of section 10 of the income-tax Act or a Qualified Institutional Buyer.

(ix) acquisition by mode of transfer referred to in sections 47 or 50B of the Income-tax Act, if the previous owner of such shares has not acquired them by any mode referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) [other than the transactions referred to in the proviso to clause (a) or clause (b)].

(c) acquisition of equity share of a company during the period beginning from the date on which the company is delisted from a recognised stock exchange and ending on the date immediately preceding the date on which the company is again listed on a recognised stock exchange in accordance with the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 read with Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) and the rules made there under;

Explanation, – For the purposes of this notification, –

(a) “frequently traded shares” means shares of a company, in which the traded turnover on a recognised stock exchange during the twelve calendar months preceding the calendar month in which the acquisition and transfer is made, is at least ten per cent. of the total number of shares of such class of the company:

Provided that where the share capital of a particular class of shares of the company is not identical throughout such period, the weighted average number of total shares of such class of the company shall represent the total number of shares.

(b) ‘listed’ means listed in a recognised stock exchange in India in accordance with the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the rules made there under.

(c) “preferential issue” and “Qualified Institutional Buyer” shall have the meanings respectively assigned to them in sub-regulation (1) of regulation (2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.


(d) "public financial institution" and "scheduled bank" shall have the meanings respectively assigned to them in Explanation to clause (vii) of sub-section (1) of section 36 of Income-tax Act.

(e) “recognised stock exchange” shall have the same meaning assigned to it in clause (f) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

(f) “reconstruction company” and “securitisation company” shall have the meanings respectively assigned to them in sub-section (1) of section 2 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002(54 of 2002).

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2018 and shall accordingly apply to assessment year 2018-19 and subsequent assessment years.

No.43/2017 [F. No.370142/09/2017 -TPL]


(Abhishek Gautam)

Under Secretary (Tax Policy and Legislation)

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 5 जून, 2017

आय-कर

का.आ.(अ)--केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है, की धारा 10 के खंड (38) के तीसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्टूबर, 2004 को या उसके पश्चात् किए गए, निम्नलिखित से भिन्न, साधारण शेयरों के अर्जन संबंधी सभी संव्यवहारों को, जो वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) के अध्याय 7 के अधीन प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभाय नहीं है, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

(क) जहां किसी ऐसी कंपनी में, जिसके साधारण शेयरों का भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में बारम्बार व्यापार नहीं होता है, सूचीबद्ध विद्यमान साधारण शेयर का अर्जन अधिमानी निर्गमन के माध्यम से किया जाता है :

परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसी कंपनी में सूचीबद्ध ऐसे साधारण शेयरों के अर्जन को लागू नहीं होगी :-

(i) जिनका उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त अनुमोदन किया गया है ;

(ii) भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किसी अनिवासी द्वारा ;

(iii) आय-कर अधिनियम की धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी विनिधान निधि द्वारा या आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चख) में निर्दिष्ट किसी जोखिम पूंजी निधि द्वारा या किसी अर्हित संस्थागत क्रेता द्वारा ;

(iv) ऐसे अधिमानी निर्गमन के माध्यम से, जिसको भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के अध्याय 7 के उपबंध लागू नहीं होते हैं ।

(ख) जहां किसी कंपनी में सूचीबद्ध विद्यमान साधारण शेयर के अर्जन का संव्यवहार भारत के किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से नहीं हुआ है ;

परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के उपबंधों के अनुसार, यदि लागू हों, किए गए किसी कंपनी में सूचीबद्ध साधारण शेयरों के निम्नलिखित अर्जन को लागू नहीं होगी :-

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट निर्गमन से भिन्न किसी कंपनी द्वारा शेयर के निर्गमन के माध्यम से अर्जन;

(ii) अनुसूचित बैंकों, पुनःनिर्माण या प्रतिभूतिकरण कंपनियों या लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनके कारबार के साधारण अनुक्रम के दौरान अर्जन ;

(iii) ऐसा अर्जन, जिसका उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त अनुमोदन किया गया है ;

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम और कर्मचारी स्टाक क्रय स्कीम) मार्गदर्शक सिद्धांत, 1999 के अधीन विरचित कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम या कर्मचारी स्टाक क्रय स्कीम के अधीन अर्जन ;

(v) भारत सरकार के विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किसी अनिवासी द्वारा अर्जन ;

(vi) जहां कंपनी के शेयरों का अर्जन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का सारवान अर्जन और ग्रहण करना) विनियम, 2011 के अधीन किया गया है ;

(vii) सरकार से अर्जन ;

(viii) आय-कर अधिनियम की धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में निर्दिष्ट विनिधान निधि द्वारा या आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चख) में निर्दिष्ट जोखिम पूंजी निधि द्वारा या अर्हित संस्थागत क्रेता द्वारा अर्जन ;

(ix) आय-कर अधिनियम की धारा 47 या धारा 50ख में निर्दिष्ट अंतरण की रीति द्वारा अर्जन, यदि ऐसे शेयरों के पूर्वतम स्वामी ने उन्हें खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) [खंड (क) या खंड (ख) के परंतुक में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों से भिन्न] में निर्दिष्ट किसी रीति द्वारा अर्जित नहीं किया गया है ।

(ग) उस तारीख से, जिसको कंपनी के, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज की सूची से हटा दिया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख से, जिसको कंपनी को दोबारा से किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी कंपनी के साधारण शेयर का अर्जन ।

स्पष्टीकरण--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "बारम्बार व्यापृत शेयर" से किसी कंपनी के ऐसे शेयर अभिप्रेत हैं, जिनका उस कलेंडर मास से, जिसमें अर्जन और अंतरण किया जाता है, पूर्ववर्ती बारह कलेंडर मास के दौरान किसी

मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में व्यापृत आवर्त, ऐसे वर्ग की कंपनी के कुल शेयरों का कम से कम दस प्रतिशत है :

परंतु जहां कंपनी के विशिष्ट वर्ग के शेयरों की शेयर पूंजी ऐसी पूरी अवधि के दौरान समान नहीं है, वहां कंपनी के ऐसे वर्ग के कुल शेयरों की भारत औसत संख्या कुल शेयरों का प्रतिनिधित्व करेगी ।

(ख) "सूचीबद्ध" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारत के किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध अभिप्रेत है ।

(ग) "अधिमान्नी निर्गमन" और "अर्हित संस्थागत क्रेता" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के विनियम (2) के उपविनियम (1) में क्रमशः उनका है ।

(घ) "लोक वित्तीय संस्था" और "अनुसूचित बैंक" का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) के स्पष्टीकरण में क्रमशः उनका है ।

(ङ) "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज" का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में उसका है ;

(च) "पुनर्गठन कंपनी" और "प्रतिभूतिकरण कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा (1) में क्रमशः उनका है ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों को लागू होगी।

सं. ५.३.../2017 [फाइल सं० 370142/09/2017-टी.पी.एल.]

अभिषेक गौतम

(अभिषेक गौतम)

अवर सचिव (कर नीति और विधायन)